रघुराम वे/s लालूराम

18/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.11.20	पत्रावली पेश की। वकील उभय पक्ष का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर प्रा. फैसला किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

रघुराम

3. अपूरणीय क्षति :–

जहॉ तक इस बिन्दू का प्रश्न है प्रार्थना पत्र को स्वीकार न किये जाने की दशा में केवल अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं होकर के साथ में ही प्रार्थी को भी विधिक हानी होकर अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है । अगर अप्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी का किसी अजनबी केता को बैचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की सभांवना है।

इस प्रकार उपरोक्त विष्लेषण से प्रा.पत्र के तीनो बिन्दू 1. प्रथम दृष्टया मामला, 2. सुविधा का संतुलन, 3. अपूर्णीय क्षति यह तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य होने की वजह से स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश जारी किया जाता है कि :–

आदेश

अतः मौजा आकला के विवादग्रस्त खसरान पर उक्त प्रकरण में दिनांक 22.02.2017 को जारी अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता–फैसला वाद तक स्थाई (**Confirm**) किया जाता है।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

राजकेश मीना *RAS*
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 15-11-2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

राजकेश मीना *RAS*
(सहायक कलक्टर)
खींवसर